स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 28/03/2019

File No. MSG/4/2017/STGBH/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. समाहर्ता,
   जिला– सिवान, बिहार

2. पुलिस अधीक्षक,
   जिला–सिवान, बहार

विषयः **आवेदक की ग्राम तथा पोस्ट कथुआ सारंगपुर, थाना दरौंदा, जिला–सिवान, स्थित भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कर कब्ज़ा करने के संबंध–श्री मौंशी शाह गोंड, आर जेड -362/356, गली नं. 9 शिवपुरी पश्चिम सागरपुर नई दिल्ली का दिनांक 18.09.2017 का अभ्यावेदन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 26.02.2019 को श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए **कार्यवाही रिपोर्ट** आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
28/3/2019
(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री मौंशी शाह गोंड,
   आर जेड -362/356, गली नं. 9 शिवपुरी पश्चिम सागरपुर, नई दिल्ली – 110046
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- MSG/4/2017/STGBH/DELAAL/RU - III)

आवेदक के ग्राम-पोस्ट- कठुआ सारंगपुर, थाना- दरौंदा, जिला- सिवान, बिहार स्थित भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कर कब्जा करने के संबंध में श्री मंशी शाह गोंड, आर जेड 362/356, गली नंबर 9 पश्चिम सागरपुर नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18/09/2017 को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 26.02.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री मंशी शाह गोंड, आर जेड 362/356, गली नंबर 9 पश्चिम सागरपुर नई दिल्ली द्वारा आवेदक के ग्राम-पोस्ट कठुआ सरंगपुर, थाना- दरौंदा, जिला- सिवान, बिहार स्थित भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कर जमीन पर कब्जा करने के संबंध में दिनांक 18/09/2017 को अपना अभ्यावेदन दिया था।
2. आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेकर दिनांक 14/11/2017 को जिला कलेक्टर, सिवान, बिहार और पुलिस अधीक्षक, सिवान, बिहार को नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः आयोग द्वारा दिनांक 19/12/2017 को स्मरण पत्र भेजा गया था।
3. मामले में जिला कलेक्टर कार्यालय सिवान से दिनांक 25/09/2018 को तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवान से दिनांक 24/09/2018 को जवाब प्राप्त हुआ था। जिसमें बताया गया कि दरौदा अंचल अंतर्गत मौजा- कोथुआ सारंगपुर में थाना नंबर- 585, खाता नंबर- 723, सर्वे नंबर- 292, रकबा- 15 कट्ठा 7 धूर किस्म भिंडा गैरमजरूआ जमीन है। सरकारी निर्देशानुसार जल संरक्षण निकाय के तहत पोखर भिंडा के बंदोबस्ती पर रोक है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

4. जिला कलेक्टर कार्यालय के अनुसार खाता नंबर 58, रकबा 5-2-10 धूर भूमि खतियानी है जिसका जमाबंदी नंबर 184/1 धनी साह गोंड के नाम से चलती है जो आवेदक के संयुक्त परिवार की भूमि है।
5. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अनुसार दिनांक 26/02/2019 को बैठक निर्धारित की गई थी जिसमें श्रीमती अनीषा सिंह, वरीय उप समाहर्ता, सिवान तथा श्री नवीन कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, सिवान सदर उपस्थित हुए।
6. आयोग ने अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष रखने को कहा, जिसके बाद अभ्यावेदक ने बताया कि मेरे घर के पास सरकारी जमीन है जिस पर मेरे दादा के समय से हमारा कब्जा है। अब मेरे पड़ोसी जबरदस्ती वहां निर्माण कार्य कर जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरे गांव में मांझी और गोंड लोगों के करीब 200 परिवार सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। मुझे उस जमीन पर प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाया जाए।
7. आयोग ने इसके बाद प्रशासन को अपना पक्ष रखने को कहा, वरीय उप समाहर्ता ने बताया कि इनके अभ्यावेदन पर सीओ से जांच कराई गई थी। इनके द्वारा बताई जा रही जमीन सरकारी है जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं। सरकारी जमीन पर नियम के खिलाफ जाकर बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। आवेदक के पिता के नाम से खरीदगी जमीन है, इनके पास खतियानी जमीन भी है।
8. पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि परिवार के जमीन बंटवारे का मामला है यह राजस्व विभाग का मामला है इसमें पुलिस विभाग की भूमिका नहीं है।
9. आवेदक ने कहा कि पैतृक जमीन पर मेरे चाचा का कब्जा है उसमें मुझे हिस्सा नहीं दिया गया है। मेरे पिता के पैसे से चाचा ने अपने नाम से जमीन खरीदी ली जिसके कारण मेरे पास अपनी जमीन नहीं है इसलिए प्रशासन द्वारा उक्त कब्जेवाली जमीन की मेरे नाम से बंदोबस्ती की जानी चाहिए।
10. इनके पास अपना रैयती जमीन है, भूमिहीन होने की स्थिति में ही प्रशासन द्वारा घर बनाने के लिए सरकारी जमीन आदिवासी वर्ग के लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाती है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार इनके परिवार के पास अपनी खरीदगी

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

जमीन है। वंशावली के अनुसार उसमें आवेदक का निर्धारित हिस्सा मिलेगा। सरकारी जमीन का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है।

11. आयोग ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित अनुशंसा की : -

(क) यह देखना जरूरी है कि आवेदक भूमिहीन है या नहीं, क्या उक्त सरकारी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित किया गया है अगर किया गया है तो आवेदक को भी आवंटित किया जाना चाहिए।

(ख) राजस्व रिकार्ड में इनके परिवार के नाम से दर्ज जमीन की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए एवं पैतृक जमीन में आवेदक के हिस्सा की जांच कर प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाई जाए।

(ग) प्रशासन अपने द्वारा किए गए कार्रवाई से आयोग को 15 कार्य दिवस के भीतर अवगत कराए।

26.03.019

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- MSG/4/2017/STGBH/DELAAL/RU - III)

आवेदक के ग्राम-पोस्ट- कठुआ सारंगपुर, थाना- दरौंदा, जिला- सिवान, बिहार स्थित भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कर कब्जा करने के संबंध में श्री मंशी शाह गोंड, आर जेड 362/356, गली नंबर 9 पश्चिम सागरपुर नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18/09/2017 को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

(अ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1.) श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष

(2.) श्री हरि कृष्ण डामोर, माननीय सदस्य

(3.) श्री ए. के सिंह, सचिव

(4.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक

(5.) आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

(ब) बिहार सरकार के अधिकारी

(1) अनीशा सिंह, वरीय उप समाहर्ता, सिवान

(2) नवीन कुमार मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक, सिवान सदर

(स) अभ्यावेदनकर्ता

(1) श्री मंशी शाह गोंड